सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/12 **निर्णय दिनांकः 26.03.2018**

1. गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति सुथार निवासी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 03—03—2008
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 03—03—2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का खुली बोली आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील कोलायत के चक नम्बर 6 ए.डी. के मुरब्बा नम्बर 36/4 की 25 बीघा भूमि मुहरबन्द आवंटन के तहत भूमि आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष सार्वजनिक सूचना दिनांक 01–11–2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन के साथ तमाम आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र मान लिया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा राशि जरिये चालान संख्या 1181/02–04–2008 राशि 8900/– जमा करवा दी गई।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को इस आधार पर किया गया था कि वादगत् भूमि हेतु प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित राशि उच्चतम है। प्रस्तावित रकबा राजपत्र में प्रकाशित है। 24–09–1990 के आवंटन से प्रभावति नहीं है, पौंग बॉध विस्थापितों हेतु आरक्षित नहीं है व अन्य कोई विवाद की जानकारी आवंटन सीगा में उपलब्ध नहीं हैं प्रस्तावक द्वारा समस्त दस्तावेजात् व आरक्षित दर से अधिक राशि प्रस्तावित की गई ह। अतः प्रस्तावक का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरान्त अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रस्ताविक रकबा राजपत्र में प्रकाशित नहीं है। अदालत मातहत का उक्त आदेश कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का यह सिद्वान्त है कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि राजपत्र में प्रकाशित नहीं है। जब वादगत् भूमि राजपत्र में प्रकाशित ही नहीं थी तो ऐसी स्थिति

में उक्त भूमि का आवंटन अदालत मातहत किन परिस्थितियों में व किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया इसका कोई अंकन पत्रावली पर उपलब्ध न हीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्व खारिज किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–2008 निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 23–04–12 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि राजपत्र में प्रकाश्ति नहीं होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23–04–2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहनबन्द बोली के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 6 ए.डी. के मुरब्बा नम्बर 36/4 की 25 बीघा भूमि आवंटित करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सबूत व निर्धारित धरोहर राशि जरिये डीडी संख्या 942424 दिनांक 26–02–2008 से राशि 3000/– जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए वादगत् भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई।

(3) अदालत मातहत द्वारा मुहरबन्द बोली निलामी में वादगत् भूमि हेतु प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित राशि उच्चतम है। प्रस्तावित रकबा राजपत्र में प्रकाशित है। 24–09–1990 के आवंटन से प्रभावति नहीं है, पौंग बॉध विस्थापितों हेतु आरक्षित नहीं है व अन्य कोई विवाद की जानकारी आवंटन सीगा में उपलब्ध नहीं हैं प्रस्तावक द्वारा समस्त दस्तावेजात् व आरक्षित दर से अधिक राशि प्रस्तावित की गई ह। अतः प्रस्तावक का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है के आधार पर वादगत् भूमि अपीलांट के पक्ष में मोहरबन्द बोली के तहत आवंटित की गई।

(4) प्रकरण में मोहरबन्द आवंटन के संबंध में दिनांक 03–03–2008 को तहसील पूगल के चक 6 एडी के मुरब्बा नम्बर 36/04 की 25 बीघा भूमि हेतु आवंटन के आवंटन हेतु अनुमोदन की शर्तो की पालना के अवलोकन पर पाया गया कि प्रस्तावित रकबा राजपत्र में प्रकाशित नहीं है। अतः प्रस्तावक का आवंटन आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे साबित हो कि प्रस्तावित रकबा मोहरबन्द बोली में आवंटन हेतु तत्समय उपलब्ध था।

(5) प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रकबा जब मोहरबन्द आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं था तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर मोहरबन्द बोली नहीं किया जा सकता था। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बतौर मोहरबन्द बोली खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की है। अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 03–03–2008 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर